



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 310 /अका./का.प./2023

रायपुर, दिनांक 04/08/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'उन्नासवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 04.08.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे	– सदस्य	7. डॉ. जे.एन. केशरवानी	– सदस्य
2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	– सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	– सदस्य	9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	– सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद	– सदस्य	10. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
5. डॉ. ए.के. गुप्ता	– सदस्य	11. श्री डमरूधर पुजारी	– सदस्य
6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स	– सदस्य	12. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	– सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, सांख्यिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 05,24,625.00 (रुपए पाँच लाख चौबीस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त/दिवंगत/धारणाधिकार कर्मचारियों के स्थानीय निधि संपरीक्षा से सातवें वेतनमान का निर्धारण उपरांत वेतन अंतर एरियर्स की कुल राशि रु. 24,65,227/- (रुपए चौबीस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्ताईस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु फर्म M/s. Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के कार्यकाल में 01 वर्ष वृद्धि (दिनांक 13.03.2023 से दिनांक 12.03.2024 तक) एवं 10 प्रतिशत भुगतान में वृद्धि करते हुए प्रथम तिमाही (दिनांक 13.03.2023 से 12.06.2023 तक) की राशि रु. 2,92,050.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, आदेश क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2023 से सातवाँ वेतनमान में 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 201 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 17/2023, पत्र क्रमांक 350/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 06.07.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	5%	38%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	11%	212%

3. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, आदेश क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.08.2023 से सातवाँ वेतनमान में 38 प्रतिशत से बढ़ा कर 42 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 24/2023, पत्र क्रमांक 432/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निम्नानुसार अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया :-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	4%	42%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.07.2023	9%	221%

4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों (सातवाँ वेतनमान) के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता महंगाई भत्ता 25% होने पर 9% की दर से तथा महंगाई भत्ता 50% होने पर 10% की दर से शासन द्वारा जारी आदेश (2 अगस्त 2023) की तिथि से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्तचारियों को छठवे वेतनमान के आधार पर पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता में तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गणना कर अंतर की राशि आयकर सहित रु. 7,24,065/- (रुपए सात लाख चौबीस हजार पैंसठ मात्र) के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के तहत प्राप्त प्रथम किश्त में से परियोजना संचालक को रु. 62,99,924/- (रुपए बासठ लाख निन्यानबे हजार नौ सौ चौबीस मात्र) की अग्रिम राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 महाविद्यालयों के पूरक परीक्षा 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 11,65,000/- (रुपए ग्यारह लाख पैंसठ हजार मात्र) प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार संबंधित माह का नियमित भुगतान की सूचना ग्रहण की गई -

- i. मई-2023 कुल राशि रु. 3,76,91,556 दिनांक 31.05.2023 देयक क्र. 691-696
- ii. जून-2023 कुल राशि रु. 3,79,44,470 दिनांक 30.06.2023 देयक क्र. 964-969
- iii. जुलाई-2023 कुल राशि रु. 3,99,29,066 दिनांक 31.07.2023 देयक क्र. 1248-1253

9. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत् 114 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जून-जुलाई 2023 (दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,56,751.00 (रुपए तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. इंडियन बैंक के खाता क्रमांक 20246316970 में 2,40,000,00.00 (रुपए दो करोड़ चालीस लाख मात्र) का सावधि जमा 400 दिन के लिए किया गया है की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।



11. दिनांक 31.07.2023 को कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों का वेतन जुलाई 2023 का वेतन भुगतान हेतु 5,50,000,00.00 (रुपए पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर राशि सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 राशि स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय के 16 उद्यानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुमानित व्यय रु. 56.81 लाख (रुपए छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र) एवं इस हेतु निविदा जारी किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

13. विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय में 4 नग वाहन क्रय हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक एफ 5-2/2023/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.06.2023 के द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु प्रतिस्थापना मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 32,98,910=00 (रुपए बत्तीस लाख अठानबे हजार नौ सौ दस मात्र) का संज्ञान ग्रहण करते हुए परिषद् द्वारा जीएसटी, सेस एवं अनुमानित इंश्योरेंस चार्ज, एसेसरीज चार्ज एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए अतिरिक्त राशि रु. 13,87,660.00 (रुपए तेरह लाख सत्यासी हजार छः सौ साठ मात्र) के स्वीकृति एवं प्रस्तावित वाहन Government E-Marketing (GeM) से क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2023, CBS प्रवेश परीक्षा 2023) के गोपनीय मुद्रण हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपए 2,56,06,545=00 (रुपए दो करोड़ छप्पन लाख छः हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिन्दी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 31.07.2023 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने हेतु संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान के अनुरूप करने का अनुमोदन किया गया।

मानवविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. "The Study for the Holistic Development of Special Tribal Group Pahadi Korwa in Jashpur District" विषय पर प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत बजट राशि रु. 38.60 लाख (रुपए अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) में से रु. 19.30 लाख (रुपए उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, जिसमें से दिनांक 31.07.2023 को अध्यक्ष, मानवविज्ञान अध्ययनशाला को अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किश्त की राशि रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) के हस्तांतरित हो चुकी है। शेष राशि रु. 13.30 लाख की अग्रिम राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।



मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. एम.एस-सी. पाठ्यक्रम के पेमेंट सीट में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: मूल विज्ञान केंद्र में संचालित पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बी.एस-सी.-सह-एम.एस-सी.) में पेमेंट सीटों पर प्रवेश प्रथमतः छ.ग. शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जाए, तदोपरांत सीटें रिक्त होने की स्थिति में इनको सामान्य वर्ग अथवा उपलब्ध वर्ग के छात्रों से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के संविदा में नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2021 एवं 2022 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को संविदा अंतर्गत पुनर्नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

19. विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के अनुसार विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान और छ.ग. शासन शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत सेट-अप में वेतनमान में भिन्नता के कारण विसंगती दृष्टव्य है, जिससे कर्मचारियों का कैरियर ब्लॉक हो रहा है।

निम्न कर्मचारियों के वेतनमान में विसंगतियां है :-

नाम	वेतनमान	विसंगतियों का विवरण एवं टिप्पणी
श्री चंद्रप्रकाश राठौर टेक्नीशियन ग्रेड 3	4000-6000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+2400	वि.वि. सेटअप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 2 का वेतनमान एवं योग्यता मापदण्ड समान है, जिसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
श्रीमति ममता बंछोर ए.एन.एम	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2200 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
श्री मनोज कुमार निर्मलकर ड्रेसर, हेल्थ सेंटर	4750-7440+1300 ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+1800 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।
कमलेश चंद्राकर, इलेक्ट्रीशियन	5200-20200 +1900 पुनरीक्षित वेतनमान	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन छ.ग. शासन के अन्य विभागों में स्वीकृत है। समान ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना अपेक्षित है।

कार्यपरिषद् का निर्णय है कि वेतन विसंगति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को विश्वविद्यालय के सेट-अप में संशोधन हेतु पत्र प्रेषित करते हुए सेट-अप सुधार के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।



20. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी के पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: NAAC के Requirement के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सेट अप में स्वास्थ्य अधिकारी का पद स्वीकृत किए जाने का औचित्य दर्शाते हुए शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

21. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 428/एफ-2019-53-01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 को अंगीकृत करते हुए, विश्वविद्यालय में निम्नानुसार कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का संविदा वेतन दिनांक 01.07.2023 से या पदभार ग्रहण की तिथि से, जो भी तिथि बाद में हो, से स्वीकृति प्रदान की गई-

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	51780
2	रिसर्च असिस्टेंट	8	32675
3	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	26490
4	लैब टेक्नीशियन	6	23350
5	निम्न वर्ग लिपिक	4	18000

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 19.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. सत्र 2023-24 के लिए एम.एस-सी बायोटेक्नालॉजी के प्रथम सेमेस्टर में 15 अतिरिक्त पेमेंट सीटों पर प्रवेश की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। तदक्रम में अन्य अध्ययनशालाओं/विषयों के अंतर्गत अतिरिक्त पेमेंट सीटों के विषय में कार्यपरिषद् से अनुमति की प्रत्याशा में सीट वृद्धि करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

24. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कार्य एवं लघुशोध प्रबंध निष्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शुल्क रूपये 5000.00 मात्र प्रति माह को बढ़ाकर रूपये 7000.00 मात्र प्रति माह करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. बी.ए-एल.एल.बी. में 60 सीटों की वृद्धि के विषय में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी.ए-एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में पूर्व से उपलब्ध 60 सीटों के साथ 60 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। तदक्रम में बी.सी.आई. (Bar Council of India) से आवश्यक पत्राचार करते हुए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही किए जाने की अनुशांसा की गई।

2. कार्यपरिषद् द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालय में बी.काम., बी.ए. ऑनर्स विषय प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् ने पूरक विषय सूची क्रमांक 1 विद्या परिषद् की स्थायी समिति के कार्यवृत्त दिनांक 03.08.2023 के निर्णय क्रमांक 9 में नए पाठ्यक्रम व अध्ययनशाला के साथ बी.काम., बी.ए. ऑनर्स (अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, अंग्रेजी, मनोविज्ञान) प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया। तदक्रम में कार्यपरिषद् से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-


- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
- (vii) M.A. Women Studies
- (viii) B.Com.
- (ix) B.A. honours (Economics, Public Administration, English, Psychology)


साथ ही क्रमांक i एवं ii पर अंकित विषयों के साथ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

3. नैक पीयर टीम से प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के चतुर्थ चक्र के नैक मूल्यांकन के संदर्भ में दिनांक 20 से 22 जुलाई, 2023 तक परिसर का निरीक्षण करने वाली छः सदस्यीय नैक पीयर टीम से बंद लिफाफे में प्राप्त रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के समक्ष खोला गया। रिपोर्ट तथा प्राप्त नवीनतम ग्रेड B++ से सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त नवीनतम ग्रेड 2 अगस्त, 2023 से अगले 5 वर्षों तक प्रभावशील रहेगा। कुलपति द्वारा दिए गए सुझाव एवं चर्चा के उपरांत सदस्यों द्वारा एक वर्ष पश्चात् तथा 3 वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय को NAAC Re-Assessment के लिए आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 311 / अका./ का.प./ 2023

रायपुर, दिनांक 04/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)